<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.03.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उपक्षेत्रीय कार्यालय ने राम पाटीदार, जो धार स्थित मेसर्स नर्मदा शीत गृह के स्वामी हैं, से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग **4 करोड़ रुपये** के वर्तमान बाजार मूल्य वाली तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। उक्त संपत्तियां मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिलों में स्थित कृषि भूमि हैं।

ईडी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा राम पाटीदार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब नेशनल बैंक को कथित रूप से धोखा देने और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि राम पाटीदार ने नर्मदा शीत गृह के नाम पर एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा के निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 3.50 करोड़ रुपये का सावधि ऋण(टर्म लोन) लिया था। हालांकि, ऋण राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करने के बजाय, धनराशि को उनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित कई खातों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जैसे परमानंद पाटीदार, महेंद्र पाटीदार, मिथुन डावर और अन्य के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इन अवैध गतिविधियों के परिणामस्वरूप, राम पाटीदार और अन्य आरोपियों ने पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 3.36 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान पहुंचाया, जबकि स्वयं अनुचित लाभ अर्जित किया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।